संख्या- 03 /2020/ 98/अडतीस-7-2020-134/2015टीसी-3

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2020

विषय- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजनान्तर्गत तृतीय चरण के 03 क्लस्टर्स की सीजीएफ की द्वितीय किश्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-06/294/श्यामाप्र0मु0रू0मि0/2019-20 दिनांक 03-02-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12011/28/2015- रूर्बन(एसएलनं0-31), दिनांक: 29-01-2020 द्वारा तृतीय चरण के 03 क्लस्टर्स क्रमश: मिधाकुर, जनपद आगरा एवं श्रीनगर, जनपद महोबा हेतु प्रति क्लस्टर रू0 5.40 करोड (रूपये पांच करोड चालीस लाख मात्र) तथा रायपुर जनपद बहराइच हेतु रू0 5.382 करोड की दर से केन्द्रांश की धनराशि रू0 16.182 करोड (रूपये सोलह करोड अठ्ठारह लाख अस्सी हजार मात्र) तथा राज्यांश की धनराशि रू0 10.788 करोड (रूपये दस करोड अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 26.97 करोड (रूपये छब्बीस करोड सत्तानबे लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त,ग्राम्य विकास का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा स्वीकृति की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(4) धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों/कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों/कार्यों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते मे रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज का नियमानुसार समायोजन/ निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 29-01-2020 की शर्तों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक: 22 मार्च, 2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनान्तर्गत निर्धारित मद में वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 102- सामुदायिक विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या-यूओ-ई-2- 172/दस-20, दिनांक: 20 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 03/2020/ 98(1)/अड़तीस-7-2020 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार(रूर्बन डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली ।
(2) प्रमुख सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(5) अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) मण्डलायुक्त, आगरा, चित्रकूट एवं देवीपाटन मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(8) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, महोबा एवं बहराइच, उ0प्र0।
(9) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
(11) राज्य योजना आयोग-1/2
(12) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
(13) गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in